

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/प्रशा/प्रवेश/2023/7467

दिनांक 03/10/23

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय की अध्ययनशलाओं में प्रवेशित समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली पत्र क्रमांक D.O.No F.2.71/2022(CPP-11) दिनांक 03 जुलाई 2023 जो कि प्रवेशित छात्रों की Fee Refund Policy 2023-24 के लिये जारी की गई है एवं मध्यप्रदेश शासन उच्चशिक्षा विभाग भोपाल के सत्र 2023-24 के प्रवेश नियमानुसार एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त पुस्तिका के बिन्दु क्रमांक 7(1) प्रवेश निरस्तीकरण पश्चात शुल्क वापसी प्रक्रिया।

सी.एल.सी. चरण में प्रवेश प्रक्रिया के मध्य प्रवेश लेकर ऑनलाइन प्रवेश निरस्त होने पर ऑनलाइन पोर्टल से स्वतः सूचित होगा।

प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निरस्तीकरण कराने पर आवेदक द्वारा जमा की गई प्रवेश शुल्क की सम्पूर्ण राशि उसी खाता क्रमांक में वापस की जाएगी जिस खाता क्रमांक से प्रवेश शुल्क का भुगतान किया गया है। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 30 दिवस के अंदर प्रवेश निरस्त कराने पर सम्पूर्ण शुल्क वापस किया जाएगा। इस अवधि के पश्चात प्रवेश निरस्त कराने पर कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।


आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति:— संबंधित की ओर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि:—

1. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निर्देशक, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
2. प्रवेश समिति के अध्यक्ष, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
3. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
5. सहा0/उप-कुलसचिव (प्रशासन) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।


सहा0/उप-कुलसचिव (प्रशा0)